सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

सं. SO/E-III/Misc/2020-कोविड   दिनांक 27/06/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0

राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 26.06.2021 के मध्यनजर निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने कॉलोनी परिसर में कोरोना मामलों के न्यूनतम स्तर तथा संस्थान के **85** प्रतिशत से अधिक सहकर्मियों द्वारा **वैक्सीन की पहली डोज** ली जाने को दृष्टिगत रखते हुए सहर्ष निर्णय लिया है कि :

1. दिनांक 28.06.2021 से संस्थान नियमित रूप से प्रात: 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुलेगा।
2. पहले से अवकाश पर तथा बाहर से आने वाले सहकर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अपने-अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. संस्थान के सभी सहकर्मी **एफआरएएस** के माध्यम से अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।
4. संस्थान व कॉलोनी परिसर में सभी सहकर्मियों व उनके परिवार जनों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर मास्क व 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
5. जिन सहकर्मियों (नियमित/परियोजना/संविदाकर्मी) ने अभी तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अगले 1 से 2 सप्ताह में वैक्सीन लगवाकर अपनी-अपनी रिपोर्ट अपने समूह प्रमुख अथवा परियोजना प्रमुख को प्रस्तुत करें।
6. कॉलोनी परिसर स्थित शॉपिंग काम्प्लेक्स के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.06.2021 की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

महेन्द्र सिंह 27/06/2021

(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के निजी सहायक।
2. सभी विभागाध्यक्ष / समूह प्रमुख
3. प्रभारी एनएमसी - इस अनुरोध के साथ की कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को संस्थान की वैबसाइट पर अपलोड करें